

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 67/2025

GCMS NO 2025/107

हरिकिशन पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी रोडकलां तहसील व जिला करौली
अपीलांट

बनाम



रूपसिंह पुत्र रामजीलाल गुर्जर (मृतक) जरिये विधिक वारिसान:-

1. मतिरा देवी बेवा रूप सिंह
2. राजीव पुत्र रूपसिंह
3. संजीव पुत्र रूप सिंह
4. कमलेश पुत्री रूप सिंह
5. मित्तल पुत्री रूप सिंह
6. रीना पुत्री रूप सिंह सभी जातियान गुर्जर निवासीयान रोडकलां तहसील व जिला करौली
7. तहसीलदार लैण्ड होल्डर करौली

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 8/18 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.5.25 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली)
अभिभाषक अपीला0 श्री ऐश्वर्य सिंह
अभिभाषक रेस्पो0 श्री नेमी चंद गर्ग


दिनांक 28.8.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.5.25 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 ने एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजीयात ख0न0 793 रकबा 3 विस्वा गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम रोडकलां तहसील व जिला करौली में स्थित है। जिसमें वादी के पिता रामजीलाल का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी न0 2 का 1/2 हिस्सा है। वादी के पिता रामजीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। उनके मरने के बाद वादी ही एक मात्र वारिस उत्तराधिकारी है। उक्त जमीन पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का किसी प्रकार का संबंध वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। सभी सरकारी कागजात में हरकिशन पुत्र गंगदेव दर्ज है। प्रतिवादी न0 1 गलत तरीके से अपने पिता गंगदेव के नाम को हटा कर बिना किसी आधार के आधार कार्ड, राशन कार्ड में तर्मीम पिता गंगदेव के स्थान पर मेरे पिता रामजीलाल का नाम दर्ज करा लिया जिसकी एफ आई आर न0 102/16 वादी ने दर्ज करा दी। प्रतिवादी न0 1 का उक्त चाह से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही पिता वादी रामजीलाल की जमीन जायदाद से कोई ताल्लुक है। वादी के पिता रामजीलाल की जमीन को हडपने के इरादे से कुछ कागजों में षडयंत्र पूर्वक तरीके से चैनज करा लिया जो गलत एवं निराधार है। वादी अपने पिता रामजीलाल के 1/2 हिस्से के खातेदारी घोषणा कराने का हकदार है। प्रतिवादी न0 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। आराजी ख0न0 710 रकबा 15 विस्वा, 711 रकबा 1 विस्वा





राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2 बीघा 7^{1/2} विस्वा ग्राम रोडकलां तहसील करौली मे स्थित है। जिसमे वादी के पिता रामजीलाल का 1/8 हिस्सा है। इसके प्रतिवादी न0 1 हरिकिशन गंगदेव का पुत्र होने के बाबजूद मेरे पिता रामजीलाल के हिस्से की जमीन मे अपना नाम दर्ज कराने पर आमादा है। सभी सरकारी एवं गैरसरकारी रिकार्ड मे प्रतिवादी न0 1 के पिता का नाम गंगदेव दर्ज है। और गंगदेव की संपत्ति का पूरा लाभ उठाता चला आ रहा है। इन दोनो खसरा न0 मे हिस्सा 1/8 जो पिता रामजीलाल के नाम है उसकी घोषणा अपने नाम कराने का अधिकारी है। आराजी ख0न0 1141 रकबा विस्वा गैर मुमकिन चाह मे वादी के पिता रामजीलाल का 1/4 हिस्सा है जिसकी खातेदारी घोषणा वादी अपने नाम कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी न0 1 का उक्त चाह से कोई संबंध ताल्लुक नही है। प्रतिवादी न0 1 वादी के पिता का खातेदारी व कब्जे काशत की समस्त आराजीयात मे अपना नाम जोडने की कार्यवाही करने व वादी के पिता की खातेदारी कब्जे काशत की आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। इस प्रकार आराजी ख0न0 793 रकबा 3 विस्वा गैर मुमनि चाह मे रामजीलाल का हिस्सा 1/2 के स्थान पर वादी को खातेदार काशतकार घोषित करने तथा ख0न0 710, 711 वाके ग्राम रोडकलां तहसील करौली मे वादी के पिता रामजीलाल के हिस्सा 1/8 का वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे तथा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्प0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो,रिकार्ड एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री आर्वेटरी परवर्स अपीलांट है विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के विपरीत पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने जैर निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली मे उपलब्ध अपीलांट की जबाबदेही व उसके सर्मथन मे प्रस्तुत दस्तावेजात पर गौर नही किया है ना ही इस तथ्य की और गौर किया कि अपीलांट गंगदेव का पुत्र न होकर रामजीलाल का पुत्र है। तथा स्वयं वादी रूप सिंह का खास भाई है। इसके अतिरिक्त जबाब दावा के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। जो सभी अपीलांट को रामजीलाल का पुत्र होना साबित करते है। अधिनस्थ न्यायालय मे मुताबिक आदेशिका अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 3.4.25 को हिदायत पैरवी ना होना अंकित किया जिसके आधार पर नियमानुसार अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट को नोटिस भेजा जाना आवश्यक था। जो आज दिवस तक प्रार्थी अपीलांट को प्राप्त नही हुआ। इससे स्पष्ट है कि रेस्प0 द्वारा मिलीभगत करके न्यायालय को गलतता देकर प्रकरण मे अपीलांट के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही बिना कोई नोटिस जारी किये करवाई और अननतः दिनांक 8.4.25 को गलत तरीके से एक पक्षीय कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अमल मे लाई गई। अधिनस्थ न्यायालय ने पेज न0 3 पर



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर


बिलकुल गलत तरीके से यह अंकित किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य शपथ पत्र दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये हैं और साक्ष्य प्रस्तुत करने के काफी अवसर दिये गये हैं तथा उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 8.4.25 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। उक्त निर्णय पूर्णतया: रिकार्ड के विपरीत है। अपीलान्त को बिना कोई नोटिस दिये बिना अपीलान्त का पक्ष एक पक्षीय कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से अमल में लाते हुए डिक्री पारित है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की अपीलान्त को पूर्व में नहीं थी दिनांक 23.6.25 को अपीलान्त को हल्का पटवारी ने उक्त निर्णय की जानकारी दी। तत्पश्चात अपीलान्त ने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब उनके द्वारा न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से एक पक्षीय निर्णय अपीलान्त को बिना नोटिस दिये ही जारी किया गया है। तब अपीलान्त द्वारा डिक्री व निर्णय की नकल ली गई। अधिनस्थ न्यायालय के एक पक्षीय निर्णय व डिक्री के आधार पर रेस्पोंड जमाबंदी इन्द्राजात में फेरबदल कराने का उतारू है। यदि दौराने अपील रेस्पोंड अपने मकसद में कामयाब हो गये तो अपीलान्त का अपील पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। जिसकी काफी हद तक तल्फी भी अपीलान्त वहन करनी होगी जिसकी पूर्ति जरे नकद कतई संभव नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जैर अपील मृतक व्यक्ति गंगदेव के विरुद्ध पारित होने के कारण भी निरस्त योग्य है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.5.25 को निरस्त किया जाकर अपीलान्त को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पोंड के अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात से अपीलान्त का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नहीं है। अपीलान्त द्वारा बार बार कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित किया है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्त/प्रतिवादीगण बकालतन उपस्थित हुए हैं एवं उनके द्वारा जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया है। जिससे अपीलान्त का उक्त कथन झूठा साबित होता है। अपीलान्त ने अपील में स्वयं स्वीकार किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं जबाब देही पर गौर नहीं किया है। इससे अपीलान्त का उक्त कथन झूठा साबित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त/प्रतिवादीगण को साक्ष्य शपथ पत्र व दस्तावेजी सबूत पेश करने हेतु काफी अवसर प्रदान किये गये थे परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं करने एवं उपस्थित नहीं होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 8.4.25 को स्वतंत्र गवाहों के बयानों के आधार पर एवं प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किये जाने के उपरान्त एवं मुताबिक दस्तावेजों से रामजीलाल का एक मात्र वारिस रूप सिंह को माना जाकर ही रामजीलाल की समस्त आराजी पर अधिकार होना मानकर ही आराजी ख० न० 793 रकबा 3 विस्वा, 710 रकबा 15 विस्वा, 711 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 10 विस्वा एवं खसरा न० 1141 रकबा 2 विस्वा गैर मुमकिन चाह ग्राम रोडकलां

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

तहसील करौली में रामजीलाल पुत्र रामनारायण के स्थान पर वादीगण 1 ता 6 को खातेदार काश्तकार विधिवत रूप से घोषित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि दौराने दावा गंगदेव फौत हो चुका था जिसके विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलांट द्वारा उक्त तथ्य के समर्थन में यह नहीं बताया है कि गंगदेव की मृत्यु किस दिनांक को हुई है। जबकि सत्यता यह है कि यदि दौराने दावा गंगदेव की मृत्यु के उपरान्त करानी चाहिए थी। जिससे मृतक गंगदेव के कायम मुकाम की कार्यवाही की जा सकती। स्पष्ट है कि प्रकरण के अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहते प्रकरण के प्रति सजग नहीं रहे जिससे उनकी कार्य प्रणाली उदासीनता की धोतक है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं वादी एवं प्रतिवादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विधिपूर्वक विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।


उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद रामजीलाल की आराजीयात को लेकर है। अपीलांट अधिवक्ता के कथन अनुसार अपीलांट हरिकिशन, रामजीलाल का पुत्र है इसी प्रकार रेसपो० के अधिवक्ता का कथन है कि हरिकिशन रामजीलाल का पुत्र नहीं होकर गंगदेव का पुत्र है। रामजीलाल का एक मात्र वारिस रूपसिंह है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि दौराने दावा गंगदेव फौत हो चुका था। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मृतक के खिलाफ किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि गंगदेव की और से अधिनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त था, यदि गंगदेव दौराने दावा फौत हो गया था तो प्रतिवादी की जिम्मेदारी थी कि इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है। जो उनकी अहम जिम्मेदारी थी। इस तथ्य को प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपने प्रकरण के संबंध में गंभीर नहीं रहे हैं। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगणों के और से हिदायत पैरवी किये जाने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। यहाँ यह तथ्य स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में जबाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश करने के पश्चात हिदायत पैरवी करने पर अधिवक्ता को पक्षकारों को स्वयं को सूचित करना चाहिए। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन कानूनन मान्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 कायम की जाकर उसको सिद्ध करने का भार वादीगण को दिया गया था। जिसके समर्थन में वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 पेश की है। जिसमें विवादित आराजीयात ख०न० 793 रकबा 3 विस्वा, 710 रकबा 15 विस्वा, 711 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा कुल रकबा 2 बीघा 10 विस्वा एवं ख०न० 1141 रकबा 2 विस्वा गैर मुमकिन चाह ग्राम रोडकलां तहसील करौली वादी के पिता रामजीलाल के समय की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमें वादी के पिता कां ख०न० 793 में 1/2 हिस्सा, 710 व 711 में 1/8 हिस्सा एवं ख०न० 1141 में 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। जिसके विरोध में प्रतिवादी/अपीलांट


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इसी प्रकार रामजीलाल का पुत्र साबित करने के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली प्रदर्श 22 व प्रदर्श 23 एवं पंचायत मतदाता सूची प्रदर्श 24 एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 9.3.16 पेश किये हैं जिससे रूपसिंह को रामजीलाल का पुत्र होना साबित माना है। इसके विरोध में भी प्रतिवादी/अपीलाट द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 ता 5 का सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर वादी के पक्ष में निर्णित की गई है। जिनमें वादीगण को रामजीलाल का एक मात्र पारित माना गया है। इस प्रकार रामजीलाल की आराजीयात में अपीलांट हरिकिशन का किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से वादी एवं प्रतिवादीगण की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 8/18 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.5.25 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.8.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर